Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 16-2016] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 19, 2016 (CHAITRA 30, 1938 SAKA)

General Review

वन विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2013–2014 की समीक्षा।

दिनांक 4 अप्रैल, 2016

क्रमांक एस0टी0/129.—

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि0मी0 है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1,758 वर्ग कि0मी0 है जो कि इसके भू–भाग का मात्र 3.98 प्रतिशत है। राज्य में सड़कों, रेलों, बांधों तथा नहरों आदि के साथ लगती पट्टियों की भूमि भी वन क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इनको भारतीय वन अधिनियम – 1927 के तहत सुरक्षित वन अधिसूचित करवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पट्टीदार वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 48 प्रतिशत है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.49 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है (एफ0एस0आई0 देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट–2013 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को वर्तमान 6.49 प्रतिशत से बढ़ाकर चरण बद्ध तरीके से 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के लिए भू–पट्टियों, सामुदायिक भूमियों एवं खेतों में मानव निर्मित वनों (पौधारोपण) को विकसित किया गया है। राज्य सरकार की वन नीति के प्रावधानों की अनुपालना में वन विभाग, वन एवं वृक्षावरण की गुणवत्ता व मात्रा वृद्धि हेतू अथक प्रयास कर रहा है। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं, विशेषरूप से कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए राज्य में सफल अनुसंधान कार्यों पर आधारित पौधारोपण किये जा रहे हैं। वानिकी कार्यकलापों, विशेष रूप से वृक्षारोपणों को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण की बहाली व सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2013–14 में 5.00 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 4.44 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण – 2.41 करोड़; वितरित पौधे – 2.03 करोड़) लगाये गये । वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में पौध वितरण रोपण लक्ष्य का 46 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान प्लान स्कीमों का खर्च 162.06 करोड़ रु0 रहा जिसमें अनुसूचित जाति कम्पोनेंट का खर्च 15.99 करोड़ रु0 शामिल है। पौधारोपण व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में ग्रामीण उत्थान को विशेष महत्व दिया गया है।

वाहनों के आवागमन के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व हरियाणा में पारिस्थितिकी का संरक्षण करने के लिये वर्ष 2010–11 से शुरू की गई " राष्ट्रीय/राजकीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी विस्तार" नामक योजना इस वर्ष में भी जारी रही। इस योजना के तहत वन विभाग शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर पौधारोपण करता है और दो वर्षों तक इसका रखरखाव भी करता है। इन पौधारोपणों की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी तथा इसके पश्चात् इसको किसानों को सौंप दिया जाएगा। अंतिम फसल कटाई के समय पर पूरे उत्पाद का स्वामी किसान होगा। पौधारोपण की कटाई के बाद राज्य सरकार पुनः शैल्टर बैल्ट लगाकर इसकी तीन वर्षों तक देखभाल करेगी। इस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि यह स्कीम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वृक्षावरण बढ़ाने एवं राज्य में किसानों की आय वृद्धि में मददगार होगी। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 950.21 लाख रु0 खर्च करके 132 है0 तथा 2458 आर0के0एम0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे लगाना है। यह स्कीम भी राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित इकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध होगी और राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 3698.99 लाख रु0 खर्च करके 9730 है0 तथा 210 आर0के0एम0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2013–14 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 70 लाख घ0मी0 रहा जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान यह 64 लाख घ0मी0 था। वर्ष 2013–14 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। वर्ष के दौरान 2 वन मण्डलों की कार्ययोजना बनाई गई।

विभाग द्वारा गांवों में अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रामीण तालाबों की खुदाई करके/गाद निकालकर/पुनरूत्थान के कार्य प्रारम्भ किये गये। वर्ष के दौरान विभिन्न गांवों में 20 तालाबों का पुनरूत्थान किया गया। इन तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए इनके चारों ओर पौधारोपण भी किया गया।

भारतीय औषधीय प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा कृषि के विविधिकरण के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती–बाड़ी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। वर्ष के दौरान 4 नये हर्बल पार्क विकसित किये गये। अब तक 48 हर्बल पार्क विकसित किये जा चुके हैं तथा 6 अन्य हर्बल पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में दो राष्ट्रीय पार्क, 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः तथा 3 लघु चिड़ियाघर हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. सुलतानपुर	गुड़गांव	05.07.1991	352.17
2. कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00

वन्य–प्राणी विहार

वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94
2. छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45
3. नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25
4. बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00
5. अबूबशहर	सिरसा	27.11.1987	28492.00
6. खापड़वास	झज्जर	27.03.1987	204.36
7. कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00
		13.01.2000	222.65
8. मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88
		07.09.2007	6563.93

संरक्षण आरक्षः

संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00
2. बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00

लघु चिड़ियाघर

चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)
1. भिवानी	भिवानी	1982–83	51.00
2. पिपली	कुरुक्षेत्र	1985–86	8.00
3. रोहतक	रोहतक	1985–86	14.00

बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है जो कि पूरे भारत में तेजी से कम हो रहे हैं। यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिश सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिशिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतू रॉयल सोसायटी (आर0एस0पी0बी0) लन्दन द्वारा बीएनएचएस को उपलब्ध करवाये गये धन से ही समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतू स्थापित एशिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रं0सं0	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1	White backed	27	42	69
2	Long billed	36	52	88
3	Slender billed	12	14	26
4	Himalyan Griffon	00	02	02
	कुल	**75**	**110**	**185**

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जायेगा जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास दिया जा सके। इस केन्द्र पर 18.10 लाख रुपये की राशि वर्ष 2013–14 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र में मोर व चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टॉफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रु0 खर्च होने का अनुमान है। इस केन्द्र पर 20 लाख रुपये की राशि वर्ष 2013–14 के दौरान खर्च की गई।

राज्य वन नीति में विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय सृजन गतिविधियों में वृद्धि हो सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये कुल 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 2195 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2013–14 के दौरान निम्न प्रकार से रहे :–

क्र0 सं0	(क) योजना	भौतिक		वित्तीय (रुपये लाखों में)
		है0	आर0के0एम0	
(क) राज्य स्कीमें				
1	कृषि वानिकी का कुटक/गैर कूटक विकास	9730.00	210.00	3698.99
2	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना			
	(क) अनुसूचित जाति गांव में वानिकी गतिविधियां	3806.00	500.00	1599.77
3	सामाजिक तथा कृषि वानिकी	1763.00		1655.81
4	शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	–	777.00	500.91
5	वानिकी विस्तार रेल, रोड और नहर	132.00	2458.00	950.21
6	परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	2520.00	–	1441.62
7	सरकारी भूमि पर पट्टीदार पौधारोपण	–	2518.00	1789.93
8	प्रतिपूरक वानिकी	–	128.00	50.24
9	मरूस्थल नियंत्रण	40.00	–	49.91
10	अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनरूत्थान	490.00	–	500.00
11	पौधारोपण लक्ष्य रहित स्कीमें	–	–	3106.42
जोड़		**18481.00**	**6591.00**	**15343.81**
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1	समेकित वन संरक्षण (केन्द्रीय शेयर – 153.64 लाख रु0 तथा राज्य शेयर – 51.22 लाख रु0)			204.86
2	राष्ट्रीय पार्क तथा विहारों का विकास (केन्द्रीय शेयर – 70.02 लाख रु0 तथा राज्य शेयर – 80.79 लाख रु0)			150.81
जोड़				**355.67**
(ग) वन्य–प्राणी परिरक्षण				
1	वन्य–प्राणी संरक्षण			226.80
2	चिड़ियाघरों व हिरण पार्कों का विस्तार			279.82
जोड़				**506.92**
योजना जोड़		**18481.00**	**6591.00**	**16206.10**
(ख) गैर–योजना				
1	निर्देशन एवं प्रशासन (मुख्यतः स्थापना व्यय)			7991.55
2	पौधारोपण एवं गणना	440.00		419.09
3	लोंगिग (वृक्षों की कटाई तथा फर्नीचर बनाना)			604.48
4	संचार एवं भवन (खासतौर पर भवनों की मुरम्मत पर)			22.90
5	अन्य चार्जिज (बकाया राशि भुगतान)			47.31

6	अन्य (प्रशिक्षण, वर्दी एवं मिश्रित)			77.67
7	वन्य–प्राणी परिरक्षण			653.13
गैर–योजना जोड़		**440.00**		**9816.13**
योजना तथा गैर–योजना जोड़		**18921.00**	**6591.00**	**26022.23**
(ग) डी0आर0डी0ए0 तथा अन्य संस्थाएं				
1	एफ0डी0ए0(वन विकास संस्था)	1478.50		1096.03
2	कैम्पा (प्रतिपूरक वानिकी कोष प्रबन्धन पौधारोपण संस्था)	806.00	2104.08	1609.35
3	गुगल प्रोजेक्ट	83.00		22.74
4	एन0टी0पी0सी0		88.30	119.95
जोड़		**2367.50**	**2192.38**	**2848.07**
कुल –जोड़		**21288.50**	**8783.38**	**28870.30**

योजना तथा गैर योजना खर्च :

वर्ष 2013–14 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 162.06 करोड़ रुपये था जबकि गैर योजनागत स्कीमों पर 98.16 करोड़ रुपये रहा। मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 28.18 करोड़ रुपये, पौधों की बिक्री से 2.93 करोड़ रुपये, मिश्रित प्राप्तियों से 4.45 करोड़ रुपये तथा वन्य–प्राणी संरक्षण से 0.35 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 35.91 करोड़ रुपये व 260.22 करोड़ रुपये रहा। कुल स्थापना खर्च 111.93 करोड़ रुपये आंका गया जो कि कुल खर्च का 43 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 में डी0आर0डी0ए0 इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 28.48 करोड़ रुपये की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च 288.70 करोड़ रुपये रहा।

नये भवनों, सड़कों व मार्गों के निर्माण पर 2.21 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत 3.06 करोड़ रुपयों की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 5.27 करोड़ रुपये खर्च किये और जिसमें स्टेट स्कीमों का खर्चा 4.26 करोड़ रुपये तथा कैम्पा प्रोग्राम का खर्चा 1.01 करोड़ रुपये रहा।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

विभागीय उत्पादन मण्डलों द्वारा 45125 घ0मी0 तथा हरियाणा वन विकास निगम द्वारा 42363 घ0मी0 वृक्षों को काटा गया। इस प्रकार से वर्ष 2013–14 में सरकारी जंगलों से 87,488 घ0मी0 वृक्षों की कटाई की गई।

वन एवं वन्य–प्राणी अपराध

भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य–प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाये गये नियम राज्य में वन एवं वन्य–प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिये सख्ती से लागू रहे। पिछले पांच वर्षों के अपराध सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रही।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुये	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान जिन मामलों का पता नहीं चला	वर्ष के अन्त में बकाया
2009–10	8199	10822	19021	10022	51	8948
2010–11	8948	10564	19512	8788	154	10570
2011–12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012–13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013–14	5543	8026	13569	8476	1	5092

वन्य–प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुये	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के अन्त में बकाया
				विभाग द्वारा	न्यायालय द्वारा	
2009–10	306	572	878	551	26	301
2010–11	301	372	673	490	14	169
2011–12	169	456	625	518	28	79
2012–13	79	488	567	427	52	88
2013–14	88	398	486	358	20	108

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानों से बचाव करना; वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू–संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, परन्तु इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक व बाहरी तौर से किया जा सकता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। कभी–कभी राज्य सरकार द्वारा बाहरी मूल्यांकन भी करवाया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलों में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों हेतू मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पत्ति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

अमित झा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF FOREST DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2013-2014.

The 4th April, 2016

No. ST/129.—

Haryana is primarily an agricultural State with almost 81% of its land under cultivation. It has a geographical area of 44,212 sq km, which is merely 1.3% of the geographical area of the country. The State is not bestowed with bounty of natural forests. The extent of recorded forest areas in the State is 1,758 sq km i.e 3.98% of its total land area. The forest areas include strips of land along roads, canals, bunds and railways etc., which have been got notified as protected forests under the Indian Forest Act-1927. The area of strip forests is almost 48% of the total forest area of the State.

The Forest and Tree Cover (FTC) extends only to 6.49% of the geographical area of the State (as per State of Forest Report-2013 published by the FSI Dehradun) whereas the National Forest Policy, 1988 envisages of having at least 33% of the total geographical area of the country under FTC. Haryana is also one of the leading states which has formulated its own State Forest Policy in the year 2006 that aims at increasing the FTC in the State from present 6.49% to 20% in a phased manner.

To make up for the deficient forests, the State has developed man-made forests (plantations) on strip lands, community lands and farm lands. In compliance of the provisions made in the Forest Policy of State Government, the

Forest Department is making all efforts in increasing the quality and quantity of FTC in the State. Plantations based on successful research works are being carried out in the State to enhance ecosystem services, preferably of carbon sinks. The forestry activities, especially plantations are being executed in the State to achieve the goal of restoration and amelioration of environment.

During 2013-14, 4.44 crore plants were planted (Departmental plantations - 2.41 crore; Distribution of plants - 2.03 crore) against the planting target of 5.00 crore plants in the State. The distribution of seedlings was about 46% of the planting carried out in the State during 2013-14. The expenditure under State plan schemes remained Rs. 162.06 crore which includes scheduled caste component of Rs. 15.99 crore during the year. Special emphasis was given on afforestation and poverty reduction programs for rural upliftment.

The scheme known as "Extension Forestry on farm lands along national/state highways" which was started during the year 2010-11, also continued in this year. This scheme was launched to check pollution caused by vehicular traffic and to protect ecology in the State. Under this scheme, the Forest Department carries out plantations on farm lands along highways in the shape of shelterbelts and also carries out their maintenance for two years. The department and farmers protect the plantations jointly for three years, after which these are handed over to the farmers. Farmers will be the owner of the entire produce at the time of final harvest. The Department will replant the shelterbelts after the final harvest and maintain again for three years. In such a way, the scheme is expected to help in combating vehicular pollution, increasing the tree cover as well as income of farmers in the State. A target of 132 ha. and 2458 RKM was achieved spending an amount of Rs. 950.21 lacs during 2013-14.

The scheme namely "Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal" was started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the State. The main emphasis of the scheme was to raise plants of clonal eucalyptus and poplar on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will also go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the State and also increasing the green cover in the State. A target of 9730 ha. and 210 RKM was achieved spending an amount of Rs. 3698.99 lacs during 2013-14.

The growing stock in the Government forests was estimated as 70 lacs cubic metres during 2013-14 while it was 64 lacs cubic metres during 2012-13. No new forest settlement work was carried out during the year 2013-14. Working Plans were prepared for 2 Forest Divisions during 2013-14.

Initiative was taken by the Department for digging/de-silting/rehabilitation of village ponds (johads) to provide water and better environment in the villages. 20 ponds in different villages were rehabilitated during 2013-14. Tree plantations were carried out around the ponds for their beautification.

Herbal parks have been developed in every district to generate awareness about traditional Indian System of Medicine and to encourage farmers for diversification of agriculture through cultivation of medicinal plants. 4 new herbal parks were established during the year 2013-14. A total of 48 herbal parks have been set up and another 6 herbal parks are under the process of establishment.

The State has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The State has 2 national parks, 8 wildlife sanctuaries, 2 conservation reserves and 3 mini zoos as mentioned below:-

National Park

Name of National Park	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Sultanpur	Gurgaon	05-07-1991	352.17
2. Kalesar	Yamunanagar	08-12-2003	11570.00

Wildlife Sanctuary

Name of Wildlife Sanctuary	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Bhindawas	Jhajjar	07-05-1986	1016.94
2. Chhilchhila	Kaithal	28-11-1986	71.45
3. Nahar	Rewari	30-01-1987	522.25
4. Bir Shikargah	Panchkula	29-05-1987	1896.00
5. Abubshehar	Sirsa	27-11-1987	28492.00
6. Khaparwas	Jhajjar	27-03-1991	204.36
7. Kalesar	Yamunanagar	13-12-1996 13-01-2000	13209.00 222.65
8. Morni Hills (Khol-Hi-Raitan)	Panchkula	10-12-2004 07-09-2007	5501.88 6563.93

Conservation Reserve

Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Saraswati	Kaithal	11-10-2007	11003.00
2. Bir-Bara-Ban	Jind	11-10-2007	1036.00

Mini Zoo

Name of Zoo	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Bhiwani	Bhiwani	1982-83	51.00
2. Pipli	Kurukshetra	1985-86	8.00
3. Rohtak	Rohtak	1985-86	14.00

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being supported by the funds given by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.
The details of vultures in the center are:-

Sr. No.	Species of Vulture	Adult	Juvenile	Total
1	White backed	27	42	69
2	Long billed	36	52	88
3	Slender billed	12	14	26
4	Himalyan Griffon	00	02	02
	TOTAL	**75**	**110**	**185**

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. The centre will take up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants to provide them natural habitat. An amount of Rs. 18.10 lacs was spent on this centre during the year 2013-14.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" is also being established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Peafowl and Chinkara will breed naturally in this centre. The expenditure of the project during 20 years will be around Rs. 20 crores including salary of the staff. An amount of Rs. 20 lacs was spent on this centre during the year 2013-14.

The State Forest Policy also proposes to create Self Help Groups (SHGs), particularly of women, in rural areas for income generation activities of the people living below the poverty line. The SHGs are given proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. Total 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 2195 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the rural areas.

Physical and Financial performance of the department during the year 2013-14 was as under:-

Sr. No.	(A) PLAN	Physical		Financial (Rs. in lac)
		Ha	RKM	
(a) State Schemes				
1	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	9730.00	210.00	3698.99
2	Special Component Plan for Schedule Castes			
	I) Forestry Activity in SC Villages	3806.00	500.00	1599.77
3	Social & Farm Forestry	1763.00		1655.81
4	Green Belt in Urban Areas	-	777.00	500.91
5	Extension Forestry (Rail, Road & Canal) (Plantation to check Pollution)	132.00	2458.00	950.21
6	Rehabilitation of Degraded Forests	2520.00		1441.62
7	Strip Plantation on Govt. Land	-	2518.00	1789.93
8	Compensatory Afforestation	-	128.00	50.24
9	Desert Control	40.00	-	49.91

10	Revitalization of Institution in Arravali Hills	490.00	-	500.00
11	Schemes without Plantation Target			3106.42
	Total	**18481.00**	**6591.00**	**15343.81**
(b) Centrally Sponsored Schemes on Sharing Basis				
1	Integrated Forest Protection (Central Share – Rs. 153.64 lac & State Share – Rs. 51.22 lac)			204.86
2	Development of National Parks & Sanctuaries (Central Share – Rs.70.02 lac & State Share – Rs 80.79 lac)			150.81
	Total			**355.67**
(c) Wild Life Preservation				
1	Protection of Wild Life			226.80
2	Extension of Zoos & Deer Parks			279.82
	Total			**506.62**
	Plan Total	**18481.00**	**6591.00**	**16206.10**
(B) NON-PLAN				
1	Direction & Administration (mainly establishment expenditure)			7991.55
2	Plantation & Enumeration	440.00		419.09
3	Logging (felling of trees & furniture making)			604.48
4	Communication and Building (specially buildings' maintenance)			22.90
5	Other Charges (back wages payments)			47.31
6	Others (training, uniform & misc.)			77.67
7	Wild Life Preservation			653.13
	Non- Plan Total	**440.00**		**9816.13**
	Plan & Non - Plan Total	**18921.00**	**6591.00**	**26022.23**
(C) DRDA & OTHER AGENCIES				
1	FDA- Forest Development Agency	1478.50		1096.03
2	CAMPA-Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority	806.00	2104.08	1609.35
3	Guggal Project	83.00		22.74
4	NTPC		88.30	119.95
	Total	**2367.50**	**2192.38**	**2848.07**
	GRAND TOTAL	**21288.50**	**8783.38**	**28870.30**

Plan & Non Plan Expenditure:

The plan expenditure of the department during the year 2013-14 was Rs. 162.06 crore whereas the non plan expenditure was Rs. 98.16 crore. Revenue amounting to Rs. 28.18 crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 2.93 crore from sale of plants, Rs. 4.45 crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.35 crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 35.91 crore and Rs. 260.22 crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 111.93 crore which was 43% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 28.48 crore made available to the department by other agencies like DRDA etc**.** was Rs. 288.70 crore during the year 2013-14.

An amount of Rs. 2.21 crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 3.06 crore. Thus, the expenditure on communication & buildings remained Rs. 5.27 crore during the year and in which State scheme expenditure was Rs. 4.26 crore and CAMPA program expenditure was Rs. 1.01 crore.

State-owned Forests Out-turn: A total of 45125 cubic metres trees were felled/harvested by Production Divisions of the Department and 42363 cubic metres by Haryana Forest Development Corporation (HFDC) in the State. Thus, a total harvest of 87488 cubic metres carried out from state-owned forests during the year 2013-14.

Forests and Wildlife Offences: Indian Forest Act, 1927, Wildlife (Protection) Act, 1972 and rules framed their under remained strictly enforced to protect forests and wildlife in the State. The trend of offences for last five years is given below: -

Offences under Indian Forest Act, 1927

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided during the year	Undetected cases of the year	Balance at the end of the year
2009-10	8199	10822	19021	10022	51	8948
2010-11	8948	10564	19512	8788	154	10570
2011-12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013-14	5543	8026	13569	8476	1	5092

Offences under Wild Life Protection Act, 1972

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided/Compounded within the year		Balance in the end of the year
				By Department	By Court	
2009-10	306	572	878	551	26	301
2010-11	301	372	673	490	14	169
2011-12	169	456	625	518	28	79
2012-13	79	488	567	427	52	88
2013-14	88	398	486	358	20	108

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of raising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for executing the works but the works require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring can be either internal or external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is sometimes got conducted by the State government. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Government of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), which are significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest and wildlife management and personnel management. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the State. To monitor changes in FTC in the State, satellite imageries are proposed to be used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. are being developed with the help of Madhya Pradesh Forest Department. Another DSS on Forest Assets Management System is also being developed by the department.

AMIT JHA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Forest Department.

वन विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2012–2013 की समीक्षा।

दिनांक 4 अप्रैल, 2016

क्रमांक एस0टी0/133.—

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि0मी0 है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1,758 वर्ग कि0मी0 है जो कि इसके भू–भाग का मात्र 3.98 प्रतिशत है। राज्य में सड़कों, रेलों, बांधों तथा नहरों आदि के साथ लगती पट्टियों की भूमि भी वन क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इनको भारतीय वन अधिनियम – 1927 के तहत सुरक्षित वन अधिसूचित करवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पट्टिदार वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 48 प्रतिशत है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल मात्र 6.8 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है (एफ0एस0आई0 देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट–2011 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को वर्तमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर चरण बद्ध तरीके से 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के लिए भू–पट्टियों, सामुदायिक भूमियों एवं खेतों में मानव निर्मित वनों (पौधारोपण) को विकसित किया गया है। राज्य सरकार की वन नीति के प्रावधानों की अनुपालना में वन विभाग, वन एवं वृक्षावरण की गुणवत्ता व मात्रा वृद्धि हेतू अथक प्रयास कर रहा है। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं, विशेषरूप से कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए राज्य में सफल अनुसंधान कार्यों पर आधारित पौधारोपण किये जा रहे है। वानिकी कार्यकलापों, विशेष रूप से वृक्षारोपणों को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण की बहाली व सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2012–13 में 5.00 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 5.06 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण – 2.19 करोड़; वितरित पौधे – 2.87 करोड़) लगाये गये। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में पौध वितरण रोपण लक्ष्य का 57 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान प्लान स्कीमों का खर्च 168.31 करोड़ रु0 और अनुसूचित जाति कम्पोनेंट का खर्च 16.97 करोड़ रु0 रहा। पौधारोपण व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में ग्रामीण उत्थान को विशेश महत्व दिया गया है।

वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व हरियाणा में पारिस्थितिकी का संरक्षण करने के लिये वर्ष 2010–11 से शुरू की गई " राष्ट्रीय/राजकीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी विस्तार" नामक योजना इस वर्ष में भी जारी रही। इस योजना के तहत वन विभाग शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर पौधारोपण करता है और दो वर्षों तक इसका रखरखाव भी करता है। इन पौधारोपणों की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी तथा इसके पश्चात् इसको किसानों को सौंप दिया जाएगा। अंतिम फसल कटाई के समय पर पूरे उत्पाद का मालिक किसान होगा। पौधारोपण की कटाई के बाद राज्य सरकार पुनः शैल्टर बैल्ट लगाकर इसकी तीन वर्षों तक देखभाल करेगी। इस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि यह स्कीम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वृक्षावरण बढ़ाने एवं राज्य में किसानों की आय वृद्धि में मददगार होगी। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 964.60 लाख रु0 खर्च करके 517 है0 तथा 2157 आर0के0एम0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे लगाना है। यह स्कीम भी राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित इकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध होगी और राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 3510.40 लाख रु0 खर्च करके 7921.86 है0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वन संसाधनों के स्थायी तरीके से प्रबन्धन व संरक्षण हेतु 2 वन मण्डलों की कार्ययोजनाएं बनाई गई। वर्ष 2012–13 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 64 लाख घ0मी0 रहा जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान यह 59 लाख घ0मी0 था। वर्ष 2012–13 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया।

विभाग द्वारा गांवों में अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रामीण तालाबों की खुदाई करके/गाद निकालकर/पुनर्उत्थान के कार्य प्रारम्भ किये गये। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न गांवों में 25 तालाबों का पुनर्उत्थान किया गया। इन तालाबों के सौन्दर्यीकरण के लिए इनके चारों ओर पौधारोपण भी किया गया।

भारतीय औषधीय प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा कृषि के विविधिकरण के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती–बाड़ी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। वर्ष के दौरान 4 नये हर्बल पार्क बनाये गये हैं। अब तक कुल 40 हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं और 10 अन्य पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में दो राष्ट्रीय पार्क, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः तथा 3 लघु चिड़ियाघर हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. सुलतानपुर	गुड़गांव	05.07.1991	352.17
2. कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00

वन्य–प्राणी विहार

वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94
2. छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45
3. नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25
4. बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00
5. अबूबशहर	सिरसा	27.11.1987	28492.00
6. खापड़वास	झज्जर	27.03.1987	204.36
7. कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00
		13.01.2000	222.65
8. मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88
		07.09.2007	6563.93

संरक्षण आरक्षः

संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00
2. बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00

लघु चिड़ियाघर

चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)
1. भिवानी	भिवानी	1982–83	51.00
2. पिपली	कुरुक्षेत्र	1985–86	8.00
3. रोहतक	रोहतक	1985–86	14.00

बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है। यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिश सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिशिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतू रॉयल सोसायटी (आर0एस0पी0बी0) लन्दन द्वारा बीएनएचएस को उपलब्ध करवाये गये धन से ही समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतू स्थापित एशिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रं0सं0	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1	White backed	27	42	69
2	Long billed	36	52	88
3	Slender billed	12	14	26
4	Himalyan Griffon	00	02	02
	कुल	**75**	**110**	**185**

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जायेगा जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास दिया जा सके। इस केन्द्र पर 17.77 लाख रुपये की राशि वर्ष 2012–13 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन में मोर तथा चिन्कारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस केन्द्र में मोर व चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टॉफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रु0 खर्च होने का अनुमान है। इस केन्द्र पर 53.62 लाख रुपये की राशि वर्ष 2012–13 के दौरान खर्च की गई।

भिवानी के लघु चिड़ियाघर का पुनरूत्थान किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण एवं शिक्षा के लिये समर्पित है। रोहतक चिड़ियाघर का भी वर्तमान 16 एकड़ से 44 एकड़ क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। इस चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा जानवरों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिये नये कटघरे बनाये जा रहे हैं।

लोगों को प्रकृति के करीब लाने के उद्देश्य से, कलेसर के वनों, मोरनी की पहाड़ियों एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ईको–टूरिज्म परियोजना आरम्भ की गई है। परियोजना के पहले चरण में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6.42 करोड़ रुपये मूलभूत ढांचे के विकास के लिये स्वीकृत किये गये है।

राज्य वन नीति में विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय सृजन गतिविधियों में वृद्धि हो सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये कुल 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 2211 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय कार्य वर्ष 2012–13 के दौरान निम्न प्रकार से रहाः–

वर्ष 2012–13 का भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति विवरण				
क्र0 सं0	(क) योजना	भौतिक		वित्तीय (रुपये लाखों में)
		है0	आर0के0एम0	
(क) राज्य स्कीमें				
1	कृषि वानिकी का कुटक/गैर कूटक विकास	7921.86		3510.40
2	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना			
	(क) अनुसूचित जाति गांव में वानिकी गतिविधियां	2697.00	470.00	1696.60
3	सामाजिक तथा कृषि वानिकी		50.00	1598.89
4	शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	–	771.00	400.00
5	वानिकी विस्तार रेल, रोड और नहर	517.00	2157.00	964.60
6	परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	1759.00	180.00	800.00
7	सरकारी भूमि पर पट्टीदार पौधारोपण	–	3961.00	2342.02
8	प्रतिपूरक वानिकी	–	126.00	50.00
9	मरूस्थल नियंत्रण	165.00	–	91.74
10	अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनरूत्थान	845.00	–	582.50
11	वनों का संरक्षण	60.00	–	360.00
12	पौधारोपण लक्ष्य रहित स्कीमें			3661.68
जोड़		**13964.86**	**7715.00**	**16058.73**
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1	समेकित वन संरक्षण (केन्द्रीय शेयर – 102.85 लाख रु0 तथा राज्य शेयर – 34.28 लाख रु0)			137.13
2	राष्ट्रीय पार्क तथा विहारों का विकास (केन्द्रीय शेयर – 116.15 लाख रु0 तथा राज्य शेयर – 64.25 लाख रु0)			180.40
जोड़				**317.53**
(ग) वन्य–प्राणी परिरक्षण				
1	वन्य–प्राणी संरक्षण			185.49
2	चिड़ियाघरों व हिरण पार्कों का विस्तार			269.25
जोड़				**454.74**
योजना जोड़		**13964.86**	**7715.00**	**16830.70**

(ख) गैर–योजना				
1	निर्देशन एवं प्रशासन (मुख्यतः स्थापना व्यय)			7360.60
2	पौधारोपण एवं गणना			701.50
3	लोगिंग (वृक्षों की कटाई तथा फर्नीचर बनाना)			589.96
4	संचार एवं भवन (खासतौर पर भवनों की मुरम्मत पर)			25.00
5	अन्य चार्जिज (बकाया राशि भुगतान)			53.15
6	अन्य (प्रशिक्षण, वर्दी एवं मिश्रित)		10.00	55.19
7	वन्य–प्राणी परिरक्षण			589.92
गैर–योजना जोड़			**10.00**	**9375.32**
योजना तथा गैर–योजना जोड़		**13964.86**	**7725.00**	**26206.02**
(ग) डी0आर0डी0ए0 तथा अन्य संस्थाएं				
1	एफ0डी0ए0(वन विकास संस्था)	3133.50		643.19
2	कैम्पा (प्रतिपूरक वानिकी कोष प्रबन्धन पौधारोपण संस्था)	1155.00	2776.38	1362.11
3	गुगल प्रोजेक्ट	122.00		22.50
4	एन0टी0पी0सी0		151.50	101.50
5	झाड़ली (सी0एल0पी0)		454.50	200.64
जोड़		**4410.50**	**3382.38**	**2329.94**
कुल जोड़		**18375.36**	**11107.38**	**28535.96**

योजना तथा गैर योजना खर्च :

वर्ष 2012–13 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 168.31 करोड़ रुपये था जबकि गैर योजनागत स्कीमों पर 93.75 करोड़ रुपये रहा। मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 35.26 करोड़ रुपये, पौधों की बिक्री से 2.06 करोड़ रुपये, मिश्रित प्राप्तियों से 3.61 करोड़ रुपये तथा वन्य–प्राणी संरक्षण से 0.38 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 41.31 करोड़ व 262.06 करोड़ रुपये रहा। कुल स्थापना खर्च 120.52 करोड़ रुपये आंका गया जो कि कुल खर्च का 46 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 में डी0आर0डी0ए0 इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 23.30 करोड़ रुपये की राभि सहित सम्पूर्ण खर्च 285.36 करोड़ रुपये रहा।

नये भवनों, सड़कों व मार्गों के निर्माण पर 2.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत 3.23 करोड़ रुपयों की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 5.97 करोड़ रुपये खर्च किये और जिसमें स्टेट स्कीमों का खर्चा 5.55 करोड़ रुपये तथा कैम्पा प्रोग्राम का खर्चा 0.42 करोड़ रुपये रहा।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

विभागीय उत्पादन मण्डलों द्वारा 59087 घ0मी0 तथा हरियाणा वन विकास निगम द्वारा 42060 घ0मी0 वृक्षों को काटा गया। इस प्रकार से वर्ष 2012–13 में सरकारी जंगलों से 1,01,147 घ0मी0 वृक्षों की कटाई की गई।

वन एवं वन्य–प्राणी अपराध

भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य–प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाये गये नियम राज्य में वन एवं वन्य–प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिये सख्ती से लागू रहे। पिछले पांच वर्षों के अपराध सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रही।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुये	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान जिन मामलों का पता नहीं चला	वर्ष के अन्त में बकाया
2008–09	8248	11460	19708	11398	111	8199
2009–10	8199	10822	19021	10022	51	8948
2010–11	8948	10564	19512	8788	154	10570
2011–12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012–13	7859	7459	15318	9751	24	5543

वन्य–प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुये	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के अन्त में बकाया
				विभाग द्वारा	न्यायालय द्वारा	
2008–09	354	680	1034	715	13	306
2009–10	306	572	878	551	26	301

2010–11	301	372	673	490	14	169
2011–12	169	456	625	518	28	79
2012–13	79	488	567	427	52	88

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानों से बचाव करना, वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू–संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, परन्तु इन कार्यों की नियमित तथा सामयिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक व बाहरी तौर से किया जा सकता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। कभी–कभी राज्य सरकार द्वारा बाहरी मूल्यांकन भी करवाया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलों में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों हेतू मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है।

अमित झा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF FOREST DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2012-2013.

The 4th April, 2016

No. ST/133.—

Haryana is primarily an agricultural State with almost 81% of its land under cultivation. It has a geographical area of 44,212 sq km, which is merely 1.3% of the geographical area of the country. The State is not bestowed with bounty of natural forests. The extent of recorded forest areas in the State is 1,758 sq km i.e 3.98% of its total land area. The forest areas include strips of land along roads, canals, bunds and rails etc., which have been got notified as protected forests under the Indian Forest Act-1927. The area of strip forests is almost 48% of the total forest area of the State.

The Forest and Tree Cover (FTC) extends only to 6.8% of the geographical area of the State (as per State of Forest Report-2011 published by the FSI Dehradun) whereas the National Forest Policy, 1988 envisages having at least 33% of the total geographical area of the country under FTC. Haryana is also one of the leading states which has formulated its own State Forest Policy in the year 2006 that aims at increasing the FTC in the State from present 6.8% to 20% in a phased manner.

To make up for the deficient forests, the State has developed man-made forests (plantations) on strip lands, community lands and farm lands. In compliance of provisions made in the forest policy of State Government, the Forest Department is making all the efforts in increasing the quality and quantity of FTC in the State. Plantations based on successful research works are being carried out in the State to enhance ecosystem services, preferably of carbon sinks. The forestry activities, especially plantations are being executed in the State to achieve the goal of restoration and amelioration of environment.

During 2012-13, 5.06 crore plants were planted (Department plantation - 2.19 crore; Distribution of plants - 2.87 crore) against the planting target of 5.00 crore plants in the State. The distribution of seedlings was about 57% of the planting carried out in the State during 2012-13. The expenditure under State plan schemes remained Rs. 168.31 crore and scheduled caste component expenditure remained Rs. 16.97 crore during the year. Special emphasis was given on afforestation and poverty reduction programs for rural upliftment.

The scheme known as “Extension Forestry on farm lands along national/state highways” which was started during the year 2010-11, continued in this year. This scheme was launched to check pollution caused by vehicular

traffic and to protect ecology in the State. Under this scheme, the Forest Department carries out plantations on farm lands along highways in the shape of shelterbelts and also carries out their maintenance for two years. The department and farmers protect the plantations jointly for three years, after which it will be handed over to the farmers. Farmers will be the owner of the entire produce at the time of final harvest. The Department will replant the shelterbelts after the final harvest and maintain again for three years. In such a way, the scheme is expected to help in combating vehicular pollution, increasing the tree cover and income of farmers in the State. A target of 517 ha. and 2157 RKM was achieved spending an amount of Rs. 964.60 lacs during 2012-13.

The scheme namely "Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal" was started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the State. The main emphasis of the scheme was to raise plants of clonal eucalyptus and poplar on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will also go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the State and also increasing the green cover in the State. A target of 7921.86 ha. was achieved spending an amount of Rs. 3510.40 lacs during 2012-13.

Working plans were prepared for 2 Forest divisions for management and conservation of forest resources in a sustainable manner. The growing stock in the Government forests was estimated as 64 lac cubic metres during 2012-13 while it was 59 lac cubic metres during 2011-12. No new forest settlement work was carried out during the year 2012-13.

Initiative was taken by the Department for digging/de-silting/rehabilitation of village ponds (johads) to provide water and better environment in the villages. 25 ponds in different villages were rehabilitated during 2012-13. Tree plantations were carried out around the ponds for their beautification.

Herbal parks have been developed in every district to generate awareness about traditional Indian System of Medicine and to encourage farmers for diversification of agriculture through promoting cultivation of medicinal plants. 4 new herbal parks were established during the year 2012-13. A total of 40 herbal parks have already been set up and another 10 herbal parks are under the process of establishment.

The State has about 20% of the total forest area under protected areas. The State has 2 national parks, 8 wildlife sanctuaries, 2 conservation reserves and 3 mini zoos as mentioned below:-

National Park

Name of National Park	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Sultanpur	Gurgaon	05-07-1991	352.17
2. Kalesar	Yamunanagar	08-12-2003	11570.00

Wildlife Sanctuary

Name of Wildlife Sanctuary	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Bhindawas	Jhajjar	07-05-1986	1016.94
2. Chhilchhila	Kaithal	28-11-1986	71.45
3. Nahar	Rewari	31-01-1987	522.25
4. Bir Shikargah	Panchkula	29-05-1987	1896.00
5. Abubshehar	Sirsa	27-11-1987	28492.00
6. Khaparwas	Jhajjar	27-03-1991	204.36
7. Kalesar	Yamunanagar	13-12-1996 13-01-2000	13209.00 222.65
8. Morni Hills (Khol-Hi-Raitan)	Panchkula	10-12-2004 07-09-2007	5501.88 6563.93

Conservation Reserve

Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Saraswati	Kaithal	11-10-2007	11003.00
2. Bir-Bara-Ban	Jind	11-10-2007	1036.00

Mini Zoo

Name of Zoo	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Bhiwani	Bhiwani	1982-83	51.00
2. Pipli	Kurukshetra	1985-86	8.00
3. Rohtak	Rohtak	1985-86	14.00

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being supported by the funds given by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.

The details of vultures in the center are:-

Sr. No.	Species of Vulture	Adult	Juvenile	Total
1	White backed	27	42	69
2	Long billed	36	52	88
3	Slender billed	12	14	26
4	Himalyan Griffon	00	02	02
	TOTAL	**75**	**110**	**185**

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. The centre will take up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants to provide them natural habitat. An amount of Rs. 17.77 lac was spent on this centre during the year 2012-13.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" is also being established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Peafowl and Chinkara will be bred naturally in this centre. The expenditure of the project during 20 years will be around Rs. 20 crores including salary of the staff. An amount of Rs. 53.62 lac was spent on this centre during the year 2012-13.

The mini zoo in Bhiwani was renovated and dedicated to wildlife conservation and education. Rohtak zoo is also being expanded and renovated from existing area of 16 acres to 44 acres. This Zoo is being modernized and new animal enclosures are being added to provide better habitat for the wild animals.

To bring people closer to nature, Eco-tourism projects were started in the forests of Kalesar, Morni Hills and Sultanpur National Park. Ministry of Tourism, Government of India has sanctioned Rs. 6.42 crore for eco-tourism activities in the first phase of the project for creation of infrastructure.

The State Forest Policy also proposes to create Self Help Groups (SHGs), particularly of women, in rural areas for income generation activities of the people living below the poverty line. The SHGs are given proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. Total 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 2211 SHGs, mostly of women, have been constituted in the State for socio-economic empowerment of the rural areas.

Physical and Financial performance of the department was as under:-

Physical and Financial Performance during 2012-13				
Sr. No.	(A) PLAN	Physical		Financial (Rs. in lac)
		Ha	RKM	
(a) State Schemes				
1	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	7921.86		3510.40
2	Special Component Plan for Schedule Castes			
	(I) Forestry Activity in SC Villages	2697.00	470.00	1696.60
3	Social & Farm Forestry		50.00	1598.89
4	Green Belt in Urban Areas	-	771.00	400.00
5	Extension Forestry (Rail, Road & Canal) (Plantation to check Pollution)	517.00	2157.00	964.60
6	Rehabilitation of Degraded Forests	1759.00	180.00	800.00

7	Strip Plantation on Government Land	-	3961.00	2342.02
8	Compensatory Afforestation	-	126.00	50.00
9	Desert Control	165.00	-	91.74
10	Revitalization of Institution in Arravali Hills	845.00	-	582.50
11	Protection of Forests	60.00		360.00
12	Schemes without Plantation Target			3661.68
	Total	**13964.86**	**7715.00**	**16058.43**
(b) Centrally Sponsored Schemes on Sharing Basis				
1	Integrated Forest Protection (Central Share – Rs. 102.85 lac & State Share – Rs. 34.28 lac)			137.13
2	Development of National Parks & Sanctuaries (Central Share – Rs.116.15 lac & State Share – Rs. 64.25 lac)			180.40
	Total			**317.53**
(c) Wild Life Preservation				
1	Protection of Wild Life			185.49
2	Extension of Zoos & Deer Parks			269.25
	Total			**454.74**
	Plan Total	**13964.86**	**7715.00**	**16830.70**
(B) NON-PLAN				
1	Direction & Administration (mainly establishment expenditure)			7360.60
2	Plantation & Enumeration			701.50
3	Logging (felling of trees & furniture making)			589.96
4	Communication and Building (specially buildings' maintenance)			25.00
5	Other Charges (back wages payments)			53.15
6	Others (training, uniform & misc.)		10.00	55.19
7	Wild Life Preservation			589.92
	Non- Plan Total		**10.00**	**9375.32**
	Plan & Non - Plan Total	**13964.86**	**7725.00**	**26206.02**
(C) DRDA & OTHER AGENCIES				
1	FDA- Forest Development Agency	3133.50		643.19
2	CAMPA-Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority	1155.00	2776.38	1362.11
3	Guggal Project	122.00		22.50
4	NTPC		151.50	101.50
5	Jhadli (CLP)		454.50	200.64
	Total	**4410.50**	**3382.38**	**2329.94**
	GRAND TOTAL	**18375.36**	**11107.38**	**28535.96**

Plan & Non Plan Expenditure:

The plan expenditure of the department During the year 2012-13 was Rs. 168.31 crore whereas the non plan expenditure was Rs. 93.75 crore. Revenue amounting to Rs. 35.26 crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 2.06 crore from sale of plants, Rs. 3.61 crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.38 crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 41.31 crore and Rs. 262.06 crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 120.52 crore which was 46% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 23.30 crore made available to the department by other agencies like DRDA etc**.** was Rs 285.36 crore during the year 2012-13.

An amount of Rs. 2.74 crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 3.23 crore. Thus, the expenditure on communication & buildings remained Rs. 5.97 crore during the year and in which State scheme expenditure was Rs. 5.55 crore and CAMPA program expenditure was Rs. 0.42 crore.

State-owned Forests Out-turn: A total of 59087 cubic metres trees was felled/harvested by Production Divisions of the Department and 42060 cubic metres by Haryana Forest Development Corporation (HFDC) in the State. Thus, a total harvest of 1,01,147 cubic metres carried out from State-owned forests during the year 2012-13.

Forests and Wildlife Offences: Indian Forest Act 1927, Wildlife (Protection) Act 1972 and rules framed their under remained strictly enforced to protect forests and wildlife in the State. The trend of offences for last five years is given below: -

Offences under Indian Forest Act 1927

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided during the year	Undetected cases of the year	Balance at the end of the year
2008-09	8248	11460	19708	11398	111	8199
2009-10	8199	10822	19021	10022	51	8948
2010-11	8948	10564	19512	8788	154	10570
2011-12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543

Offences under Wild Life Protection Act 1972

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided/Compounded within the year		Balance in the end of the year
				By Department	By Court	
2008-09	354	680	1034	715	13	306
2009-10	306	572	878	551	26	301
2010-11	301	372	673	490	14	169
2011-12	169	456	625	518	28	79
2012-13	79	488	567	427	52	88

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of raising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for executing the works but the works require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring can be either internal or external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is sometimes got conducted by the State Government. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Government of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), which are significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest and wildlife management and personnel management. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the State. To monitor changes in FTC in the State, satellite imageries are proposed to be used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. are being developed with the help of Madhya Pradesh Forest Department.

AMIT JHA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Forest Department.

अनुबन्ध ''क''

प्रशासनिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष–2014–15
रोजगार विभाग हरियाणा की वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

1. श्री फुल चन्द मीणा आई0ए0एस0 दिनांक 01.04.14 से 11.08.14 तथा श्री अशोक सागवान, आई0ए0एस0 दिनांक 11.08.14 से 07.09.14 तथा श्री एस0के0 गोयल, आई0ए0एस0 दिनांक 08.09.14 से 23.11.14 तक तथा श्री प्रवीन कुमार, आई0ए0एस0 दिनांक 24.11.14 से 31.03.15 तक रोजगार विभाग, हरियाणा में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे । विभाग का प्रशासकीय नियन्त्रण श्री आर0पी0 चन्द्र, आई0 ए0 एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पास दिनांक 01.04.14 से 12.11.14 तक तथा श्रीमती शशी गुलाटी, आई0 ए0 एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पास दिनांक 13.11.14 से 31.03.15 तक रहा ।

2. रोजगार विभाग, हरियाणा का 55 रोजगार कार्यालयों का नेट वर्क राज्य में बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार सहायता तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को उनकी मानव–शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मदद कर रहा है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

1	राज्य रोजगार कार्यालय, हरियाणा	1
2	मंडल रोजगार कार्यालय	4
3	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र	3
4	जिला रोजगार कार्यालय	16
5	उप मंडल रोजगार कार्यालय	31
	कुल योग	**55**

3. समीक्षा अवधि के दौरान :–

(क) रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार सहायता हेतु 158342 प्रार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये तथा 753 प्रार्थियों को लाभप्रद रोजगार में लगाया गया ।

(ख) इसी प्रकार 59503 महिला प्रार्थियों के नाम रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत किये गये तथा 8 महिला प्रार्थियों को रोजगार में लगाया गया ।

(ग) 1127 निःशक्त प्रार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये ।

(घ) मुख्यालय पर राज्य रोजगार कार्यालय ने किसी भी प्रार्थी को नौकरी नहीं दिलवाई । विचाराधीन अवधि के दौरान इस कार्यालय द्वारा निःशक्त कक्ष द्वारा प्रार्थियों का पंजीकरण आन लाईन किया गया तथा किसी भी निःशक्त प्रार्थी को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

4. दिनांक 31.03.15 को रोजगार कार्यालयों के संजीव रजिस्टर पर 784187 बेरोजगार प्रार्थी रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि दिनांक 31.03.14 को यह संख्या 777445 थी । पंजीकृत प्रार्थियों का अधिकतर भाग शिक्षित वर्ग में अकुशल तथा अनुभवहीन था ।

5. वैतनिक नौकरियां कम होने के कारण विभाग ने नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे प्रार्थियों को अपना कामधंधा शुरू करने के लिए प्रेरित करने का कार्य आरम्भ किया है तदानुसार रोजगार अधिकारी, बेरोजगार प्रार्थियों को अपना कामधंधा शुरू करने के लिए स्व–रोजगार के अवसरों बारे सूचना एवं मार्गदर्शन देते रहे हैं । उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 2014–15 के दौरान 35000 व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया गया तथा 210 प्रार्थियों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न वित्तीय ऐजेन्सियों को भेजे ।

6. वर्ष 2014–15 के दौरान रोजगार कार्यालयों में स्थित व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाईयों द्वारा 25420 विद्यार्थियों तथा प्रार्थियों को व्यावसायिक सूचना प्रदान की गई । इन इकाईयों द्वारा इस वर्ष 2014–15 में व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह आयोजित किये गये ताकि अधिक से अधिक शिक्षित प्रार्थी अपनी व्यावसायिक योजना बारे उपयुक्त समय का लाभ उठा सकें । इन सप्ताहों के दौरान 1059 व्यावसायिक प्रवचन स्कूलों/कालेजों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिये गये, जिसके फलस्वरूप 56000 व्यक्ति लाभान्वित हुए ।

7. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम–1959 के अन्तर्गत 204 संस्थापनाओं के रोजगार सम्बन्धी रिकार्ड का निरीक्षण रोजगार अधिकारियों द्वारा किया गया । निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 105 संस्थापनाओं को भविष्य में अधिनियम की पूर्ण अनुपालना करने का परामर्श दिया गया । 22 संस्थापनाओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया तथा 70 संस्थापनाओं के रिकार्ड में कोई त्रुटि न होने के कारण रिपोर्टस फाईल कर दी गई ।

8. **कमीः**–कोई नहीं ।

9. **अधिकताः–**स्कूलों तथा कालेजों से निकले रोजगार मंडी में प्रवेश करने वाले अनुभवहीन/प्रशिक्षणहीन प्रार्थी, सामाजिक अध्ययन अध्यापक, चालक, परिचालक, स्टैनो हिन्दी, टाईपिस्ट (हिन्दी व अंग्रेजी), सफाई कर्मचारी तथा अकुशल कामगारों की उनकी मांग की तुलना में अधिकता रही ।

शशी गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
रोजगार विभाग।

Notification

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE EMPLOYMENT DEPARTMENT HARYANA FOR THE FINANCIAL YEAR 2014-15

1. Sh. Phool Chand Meena, IAS, remained as Director of Employment, Haryana from 01.04.14 to 11.08.14 and Sh. Ashok Sangwan, IAS as Director General of Employment, Haryana from 11.08.14 to 07.09.14 and Sh. S.K. Goyal, IAS as Director General of Employment, Haryana from 08.09.14 to 23.11.14 and Sh. Parveen Kumar, IAS as Director of Employment, Haryana from 24.11.14 to 31.03.15. The Department remained under the Administrative control of the of Sh. R.P. Chander, IAS, Additional Chief Secretary to Government of Haryana from 01.04.14 to 12.11.14 and Smt. Shashi Gulati, IAS, Additional Chief Secretary to Government of Haryana from 13.11.14 to 31.03.15 .

2. The Department of Employment, Haryana has a network of 55 Employment Exchanges which assist job seekers in securing jobs and to help employers in public and private sectors in meeting their manpower requirements, as detailed below:-

(1)	State Employment Exchange	1
(2)	Divisional Employment Exchange	4
(3)	University Employment Information & Guidance Bureaux	3
(4)	District Employment Exchange	16
(5)	Sub-Divisional Emploment Exchanges	31
	Total	**55**

3. **During the year under report:-**

(a) The Employment Exchanges registered 158342 persons for employment assistance and placed 753 persons in gainful employment.

(b) 59503 women applicants were registered for employment assistance and 8 applicants were placed in different jobs.

(c) Physically challenged Applicants numbering 1127 were registered in employment.

(d) At the Headquarter, no applicant was provided the job by the State Employment Exchange. During this period physically challenged applicants were registered online and no differentially abled applicants were given employment.

4. 784187 job seekers were awaiting employment assistance on the Live Register of the Employment Exchanges as on 31.03.15 as compared 777445 applicants at the end of 31.03.14. The majority of the registered applicants belonged to fresher categories i.e. educated persons without any training or work experience.

5. Due to shortage of paid jobs, the department has taken the task for persuading the job seekers for self employment and accordingly the Employment Officers provided information in respect of Self-employment avenues and guidance to employment seekers in order to help them to set up their own enterprises. As a result of their efforts 35000 applicants were guided to adopt self employment during the year 2014-15 and 210 applicants have sent application to different agencies for approval of the loan.

6. The Vocational Guidance Unit of the Employment Exchanges disseminated occupational information to 25420 students and applicants during the year 2014-15. In order to have the maximum coverage of the educated persons at the appropriate stage in their career planning, these units in the State organized Career Weeks in the year of 2014-15. During these weeks 1059 career talks were delivered in Schools/ Colleges / Industrial Training Institutes and 56000 persons took the benefit of these talks.

7. The Officers of Department inspected the Employment Records of 204 Establishments in Private Sector for proper enforcement of the provisions of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies)

Act, 1959. 105 Establishments were advised for compliance of the Act, 1959 in future, 22 Establishments were issued show cause notice and 70 Inspection Reports were filed.

8. Shortage: None

9. Fresh School/ College leavers Un-experienced / Untrained applicants, Social Study Teachers, Conductors, Drivers, Steno Hindi, Typists Hindi/ English, Sweepers and Unskilled workers were surplus as compared to their demand in the State during the period.

Chandigarh:
The 4th April, 2016.

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Employment Department.

उद्यान विभाग,हरियाणा की वर्ष 2014–15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

1. बागवानी का मनुष्य के भोजन में पौष्टिकता व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त इसमें ताजे फलों/सब्जियों की स्थिति तथा निर्मित उत्पादकों के रूप में निर्यात के बहुत अवसर प्रदत है। बागवानी क्षेत्र का बहुत महत्व है तथा यह एक स्थाई आर्थिक गतिविधि बन गया है। विभाग के भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप फल, सब्जियों, फूल तथा खुम्ब के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2. वर्ष 2013–14 में फलों के अन्तर्गत 50,595 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि वर्ष 2014–15 में बढ़कर 60,450 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 के दौरान फलों का उत्पादन 5,54,900 मी.टन था जो कि वर्ष 2014–15 में 7,03,675 मी.टन हो गया है।

3. सब्जी उत्पादन क्षेत्र में, हरियाणा, देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यह दिल्ली के निकट स्थित है। वर्ष 2014–15 के दौरान सब्जियों के अन्तर्गत 3,59,395 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया जो कि वर्ष 2013–14 में, 3,73,170 हैक्टैयर था। वर्ष 2014–15 के दौरान सब्जियों का उत्पादन 52,85,590 मी.टन हुआ, वर्ष 2013–14 में 55,65,900 मी.टन था।

4. हरियाणा राज्य में वर्ष 2013–14 में मसालों के अन्तर्गत 18,600 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि वर्ष 2014–15 में घटकर 12,610 हैक्टेयर हो गया है। वर्ष 2013–14 में मसालों का उत्पादन 97,640 मी.टन था जो कि वर्ष 2014–15 में 81,190 मी.टन हो गया है।

5. हरियाणा राज्य खुम्बी के उत्पादन की खेती में एक अग्रणीय राज्य है। वर्ष 2013–14 में 9990 मी.टन खुम्ब का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2014–15 में यह बढ़कर 10,390 मी.टन हो गया है।

6. फूलों की खेती के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जिसकी देश व विदेशों में भी बहुत मांग बढ़ रही है। वर्ष 2013–14 में फूलों के अन्तर्गत 6480 हैक्टेयर क्षेत्र तथा वर्ष 2014–15 में यह 6110 हैक्टेयर था।

7. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली वर्ष 2014–15 तक 39,734 हैक्टेयर में लगाई गई इस विधि को अपनाने वाले किसानों को 60–70 प्रतिशत केन्द्रीय एवं राज्य सहायता उपलब्ध कराई गई।

8. वर्ष 2014–15 उद्यान फसलों की प्रगति के लिए कुल मिलाकर बहुत उपयुक्त रहा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 19 फरवरी, 2016

वरिन्द्र सिंह कुण्डु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HORTICULTURE DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2014-15

1. Horticultural crops are high value crops providing much needed nutritious food to human beings. These commodities have great potential for export as fresh and value added products. Horticulture has gained importance as a separate, viable economic activity. With the sustained efforts of the Department, considerable progress has been made in fruits, vegetables, flowers and mushroom cultivation.

2. During the year 2013-14, total area under fruit cultivation was 50,595 ha. which rose to 60,450 ha. by the end of 2014-15. Similarly during 2013-14 the production of fruits was 5,54,900 M.T., which arrived to 7,03,675 M.T. by the end of 2014-15.

3. The State being in close proximity of Delhi is ideally suited for vegetable cultivation. During the year 2014-15 the area under vegetables is 3,59,395 ha. from 3,73,170 ha. in 2013-14. During the year 2014-15 production of vegetables was 52,85,590 M.T. as against the production of 55,65,900 M.T. during 2013-14.

4. During the year 2013-14, total area under spices was 18,600 ha.which decreased to 12,610 ha. during the year 2014-15. During the year 2013-14 production of spices was 97,640 M.T. which decreased to 81,190 M.T. in the year 2014-15.

5. Haryana State is one of the leading States in mushroom production. During the year 2013-14, 9,990 M.T. of mushroom was produced, which increased to 10,390 M.T. during 2014-15.

6. Cultivation of flowers amongst the farmers has become a remunerative venture, as there is a good demand in the national and international markets. During the year 2013-14, the area under flowers was 6480 ha. and it was 6110 ha. during the year 2014-15.

7. Upto the year 2014-15, 39,734 ha. area has been covered under Micro Irrigation system in horticultural crops and the farmers were provided central and State assistance @ 60-70% for installation of Micro Irrigation System during the year 2014-15.

8. The year 2014-15 was overall favourable for various horticultural crops.

Chandigarh:
The 19th February, 2016.

VARINDER SINGH KUNDU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

54201—C.S.—H.G.P., Chd.